

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com

Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 2882 / 12-1

दिनांक, अल्मोड़ा, 27/03/2023



सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं० 151058/2022)।
संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्ड्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून की पत्र सं० 2840/FP/UK/ROAD/151058/2022 देहरादून दिनांक 27.05.2022।


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गयी बिन्दु संख्या- 1 से 12 तक आपत्ति का प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर प्रतिउत्तर आनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसे निम्नानुसार महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्ताव को बाइण्डिंग कर प्रेषित किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव बाइण्डिंग करा लिया गया है।
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न कर लिये गये हैं।
3.	प्रस्ताव में पृष्ठ सं० अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न की जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में विषय सूची संलग्न कर ली गयी है।
4.	प्रस्तावित मोटर मार्ग किस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग जिस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है तथा संकेत चिन्ह में भी अंकित किया गया है।
5.	प्रस्तावित मोटर मार्ग में वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में संबंधित वन पंचायत अधिकारी/जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में संबंधित वन पंचायत संरपंच के हस्ताक्षर करा लिये गये हैं तथा पार्ट-II के Additional Information में लैण्ड शैड्यूल को अपलोड कर दिया गया है।
6.	ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा-A(X) में वन भूमि 1000 वर्षों हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने की सूचना अंकित की गयी है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा-A(X) में सूचना सही अंकित कर ली गयी है।
7.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया गया है।
8.	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट- I, A(III) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया

9.	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंग्लिस नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सामान्य नाम एवं इंग्लिस नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न कर लिया गया है।
10.	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 ROW में अलग अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मी0 एवं 9 मी0 ROW में अलग अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड कर ली गयी है। तथा पार्ट-II के पैरा 4(ii) में 7 मी0 में प्रभावित वृक्षों की संख्या अपलोड कर दी गयी है तथा वृक्षों की सूची को Additional Information में अपलोड किया गया है।
11.	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न कर ली गयी है।
12.	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की डी0एस0एस0 एनालिसिस की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2024/1-42(111) दिनांक 22.02.2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03) 2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः डी0एस0एस0 एनालिसिस की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा डी0एस0एस0 एनालिसिस हेतु अपने पत्र सं0 409/7सी0 दिनांक 10.03.2023 से नोडल अधिकारी देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है। (छाया प्रति संलग्न)

भवदीय



(ध्रुव सिंह मर्सीलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोडा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand
E-mail : cepdalmora@rediff.com

पत्रांक 409 / 7सी0
सेवा में,

दिनांक 10 मार्च 2023

विषय:

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लगगड़ा विकासखण्ड के ग्राम तुलैड़ी से ग्राम पंचायत की (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग हेतु 3.60 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 151058/2022)।

संदर्भ:

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा का कार्यालय पत्र सं0 4422/12-1(2) दिनांक 04.03.2022

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा कतिपय विन्दुओं आपत्तियों इंगित की गयी है। आपत्ति पत्र के क्रम सं0 12 में सी0ए0 क्षेत्र की डी0एस0एस0 एनालिसिस रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सी0ए0 क्षेत्र की डी0एस0एस0 एनालिसिस रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु वन कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि इस कार्यालय डी0एस0एस0 टैक्नीशियन नहीं है जिस कारण डी0एस0एस0 एनालिसिस कार्य किया जाना संभव नहीं है।

विषयगत मोटर मार्ग में अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के अंतर्गत क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम मैहरनैट द्वाराहाट वन क्षेत्र में 7.893 हे0 सिविल भूमि आवंटित है। आवंटित भूमि के अक्षांश एवं देशान्तर निम्नवत हैं।

ID	Longitude	Latitude
1	29° 45' 17.172" N	79° 16' 16.955" E
2	29° 45' 16.999" N	79° 16' 12.765" E
3	29° 45' 21.964" N	79° 16' 12.772" E
4	29° 45' 22.333" N	79° 16' 15.927" E
5	29° 45' 25.954" N	79° 16' 16.637" E
6	29° 45' 29.264" N	79° 16' 17.024" E
7	29° 45' 32.243" N	79° 16' 16.567" E
8	29° 45' 30.772" N	79° 16' 20.927" E
9	29° 45' 29.695" N	79° 16' 24.022" E
10	29° 45' 26.489" N	79° 16' 23.747" E
11	29° 45' 24.157" N	79° 16' 22.821" E
12	29° 45' 21.509" N	79° 16' 22.683" E
13	29° 45' 18.620" N	79° 16' 20.688" E
14	29° 45' 19.309" N	79° 16' 17.740" E

अतः अनुरोध है कि विषयक मार्ग में इंगित आपत्तियों के निराकरण हेतु उक्त क्षेत्र की डी0एस0एस0 एनालिसिस रिपोर्ट उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय

el

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

पत्रांक 409 / 7सी0

तददिनांकित

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आक्षेपक कार्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आक्षेपक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

el

अधिशासी अभियन्ता,